

कार्यालय उप वन संरक्षक, झुंझुनूं

दिनांक:- 23-02-17

क्रमांक :- एफ () सर्वे / उवसञ्जु / 2017 / 1122
अधिकाारी अभियन्ता,
पी.एच.ई.डी., जे.बी. शाह के पास,
मण्डावा रोड़, मेघवाल कामप्लेक्स,
तृतीय तल, झुंझुनूं, (राज0)

विषय:- Diversion of 0.5662 ha. Of forest land for laying of pipeline and construction of ESR under integrated Tarangar-Jhunjhunu-Sikar drinking water supply project, Pkg-II in favour of PHED Division Jhunjhunu.

संदर्भ:- भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) के पत्र सं0 8बी/राज0/08/13/2016/एफ.सी./512
दिनांक 17.02.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पेयजल परियोजना हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 0.5662 हैक्टर वनभूमि की प्रत्यावर्तन की स्वीकृती हेतु संदर्भित पत्र द्वारा बिन्दुवार शर्तों की पालना हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं अधिरोपित निम्नांकित बिन्दुवार शर्त पालना आपके द्वारा अपेक्षित है।

1. शर्त सं0 1 की पालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. शर्त सं0 2 की पालना में डी.एफ.एल. मॉडल के अनुसार प्रतिपौधा 184.29 रु. के हिसाब से 18429 रु. 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख रखाव के लिये जमा करावें।
3. शर्त सं0 3 की पालना में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप दण्डात्मक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि के पांच गुणा अर्थात् 2.831 हैक्टर अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण दर 129000 के हिसाब से रूपये 365199 जमा करावें।
4. शर्त सं0 3 की पालना में एनपीवी सशि. दर 626000 की दर से वन भूमि 0.5662 हैक्टर प्रत्यावर्तन के 354441.20 रूपये जमा करावें।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 2, 3 व 4 के क्रम में सभी राशियां FCA ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से कम्पेन्सेन्ट्री एफोरेसटेशन फण्ड कार्पोरेशन बैंक, लोदी रोड़, नई दिल्ली खाता संख्या एसबी 037100101025225 में मदवार (यथा क्षतिपूर्ति-वृक्षारोपण, एन.पी.वी. अथवा अन्य) जमा करा ऑनलाईन ई रसीद की छायाप्राप्ति भिजवायें।

5. शर्त सं0 5 की पालना में इस आशय का प्रमाण पत्र भिजवायें कि यदि भविष्य में एनपीवी की धनराशि में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि जमा की जायेगी।
 6. शर्त सं0 6 की पालना में वन विभाग की निम्न पौधशालाओं में पेय जल व पौध कार्य हेतु जल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें। (1) चिरानी (2) दौरासर (3) बीड़ झुंझुनूं (4) भगनिया जोहड़, चिड़ावा (5) चुड़ैला (6) घोड़ीवारा कलां (7) इन्द्रपुरा (8) नवलगढ़
 7. शर्त सं0 8 की पालना में पाईप लाईन हेतु खोदी गई नाली में पाईप डालने के बाद भूमि की सतह को पुनः मिट्टी से भरकर ठीक किया जायेगा।
 8. शर्त सं0 9 की पालना में लोक निर्माण विभाग का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
 9. शर्त सं0 11 की पालना में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी, खेतडी से सम्पर्क कर दण्डात्मक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि तय करके उक्त का डिजिटल मानचित्र प्रस्तुत करें।
 - 11 शर्त सं0 12 की पालना में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वर्तमान तथा भविष्य में लागु सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा।
- संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भयवीर

(अ.र.एन/मीना)

उप वन संरक्षक

१/८ झुंझुनूं